राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः–मुसप्र/2019/772 दिनांकः– 4/10/19

आदेश

परियोजना अभियंता वरिष्ठ, खण्ड–कोटा एवं उप आवासन आयुक्त वृत्त–कोटा के अधीन कुन्हाड़ी आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग–ब के अनिस्तारित फ्लेटों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारित किये जाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियंता–तृतीय द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर खुली बिक्री योजना में नगद भुगतान पद्वति से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। खुली बिक्री योजना से निस्तारण किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	योजना का नाम	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	फ्लेटों की संख्या
1.	कुन्हाडी आवासीय योजना	MIG-B	602, 603, 103 (S+6)	3

उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–तृतीय द्वारा उल्लेखित सारणी में उपलब्ध फ्लेटों का खुली बिकी योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्वति में निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में निम्न वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासो) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये है साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 25/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ0 प्रभा व्यास)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ –

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित
   किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक